

# ORDER SHEET

02 of 2016  
HMA

THE COURT

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11/02/2017	<p>अपीलार्थीगण रामवीर एवं गजेन्द्रसिंह सहित श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता</p> <p>शासन द्वारा श्री भगवानसिंह ए.जी.पी.।</p> <p>फरियादी अतरसिंह सहित श्री अखलेश समाधिया अधिवक्ता।</p> <p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत में राजीनामा आवेदनपत्र पर आदेश हेतु नियत है।</p> <p>फरियादी की ओर से पूर्व से प्रस्तुत राजीनामा अनुमति बाबत धारा-320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चस्पा करके पेश किया जा चुका है। दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34, 325/34 भा0द0वि0 का है, उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थीगण रामवीर एवं गजेन्द्र से धारा-323/34, 325/34 भा.द.वि. में राजीनामा करने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जा चुकी है।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से लिखित राजीनामा आवेदनपत्र पेश है, राजीनामा के संबंध में फरियादी के समझौता कथन अंकित किए जा चुके हैं। अपीलार्थीगण की पहचान श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री अखलेश समाधिया अधिवक्ता द्वारा की गयी है। उभयपक्ष के डॉकेट फॉर्म विधिवत तैयार किए गये। अतः राजीनामा विधि अनुकूल होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आलोक में आरोपीगण/अपीलार्थीगण रामवीर एवं गजेन्द्रसिंह को दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34, 325/34 भा.द.वि0 में दोषमुक्त किया किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण/अपीलार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे।</p> <p>आरोपीगण को आदेश की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल</p>	

अभिलेख वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(पी.सी. आर्य)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्र.-15,  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपाध्याय)  
(सदस्य)

खण्डपीठ क्र.-15  
गोहद जिला भिण्ड

(योगेन्द्र श्रीवास्तव)  
(सदस्य)

खण्डपीठ क्र.-15  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)